

भाग-2

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	:	कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी के अन्तर्गत प्रस्तावित लो0नि0वि0 उ0प्र0, द्वारा राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, संख्या-731A के कि0मी0 49.155 से कि0मी0 74.700 (सिंगरौर उपरहार से बरनपुर कादीपुर इचौली) रोड चौड़ीकरण में प्रभावित 15.461 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 51 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	:	उत्तर प्रदेश
ii	जिला	:	कौशाम्बी
iii	वन विभाग	:	कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र	:	15.461 हे0
v	वन का कानूनी स्थिति	:	संरक्षित वन भूमि
vi	हरियाली का घनत्व	:	0.3
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0, एफ0आर0एल0-2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0-4 मी0 भी संलग्न की जाए।	:	सूची संलग्न है।
viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:	नहीं।
ix	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	:	संरक्षित
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल, रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हों क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	:	नहीं

	xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापवन्/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं।	नही
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/प्रारम्भिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही
8		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, यदि नहीं तो जूँचे गये विकल्पों के व्यौरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया :- (हाँ/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नही
10		प्रतिपूरक वनीकरण का व्यौरा	
	i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	: संलग्न है
	ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है
	iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यनवयन एजेन्सी समय अनुसूची लगत ढांचा आदि।	संलग्न है
	iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है। ()
	v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयेक्तता के बारे में प्रबन्धकीय (दृष्टिकोण से समक्ष प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	संलग्न है।

12

11		जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (X,X i) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित है। संलग्न है।
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	वन विभाग/कौशाम्बी
	क	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2124 वर्ग कि०मी०
	ख	जिले का वन क्षेत्र	310 हे०
	ग	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	19 मामले/108.4417 हे०
	घ	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	19 मामले/108.4417 हे०
		1- दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
		2- वनेत्तर भूमि पर	—
	ड.	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
		1 वन भूमि पर	8754 पौध या 09 हे०
		2 वनेत्तर भूमि पर	—
7		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृत होने की संस्तुति की जाती है।

-3-

दिनांक :- 26-12-2022

स्थान :- कौशाम्बी


 प्रभागीय वनाधिकारी,
 कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी
 स० व० प्रभाग
 कौशाम्बी
